CNR Number : **RJDG020022802018**

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी — पूजा सूर्या, आर.जे.एस. (RJ01612)

प्रकरण संख्या — 1569/2018 रे. फौ.

एफआईआर नंबर — 149/2018 पुलिस थाना सदर

राजस्थान राज्य — अभियोजन

बनाम

नारायण वगैरा —अभियुक्तगण

परिवादी का नाम व पता	फुलशंकर पिता दीता, उम्र 45 वर्ष, निवासी पाल देवल फला वली पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. नारायण पिता रामजी, उम्र 52 वर्ष, 2. हुरजी पिता रामजी, उम्र 58 वर्ष, 3. लाला पिता हुका, उम्र 42 वर्ष, 4. वेसात उर्फ वेसा पिता रामजी, उम्र 38 वर्ष, 5. हुका पिता सवजी, उम्र 62 वर्ष, निवासीयान पाल देवल पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर।
विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी	श्री कवीश जैन
विद्वान् अधिवक्ता अभयुक्तगण	श्री नगीन पटेल व श्री राजेन्द्र यादव।

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	08.05.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट	05.07.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने तथा प्रसंज्ञान की तिथि	08.10.2018
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	10.12.2018 व 01.03.2019
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	20.04.2019
निर्णय की तिथि	16.07.2026

AUTHENTICATED DOCUMENTT

CNR Number : RJDG020022802018

अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण (यदि हो तो)	धारा 427 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	नारायण	---------------NIL--------------------					
2.	लाला	---------------NIL--------------------					
3.	हुरजी	---------------NIL--------------------					
4.	वेसात उर्फ वेसा	---------------NIL--------------------					
5.	हुका	---------------NIL--------------------					

अभियोजन साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	फुलशंकर	एफआईआर का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 02	अविनाश	फर्द घटनास्थल निरीक्षण का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03	रामचन्द्र	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04	रायचन्द	फर्द घटनास्थल निरीक्षण का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 05	पुष्पा	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू. 06	वरसिंह	फर्द शिनाख्तगी करवाने का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 07	गिरीराज सिंह	अनुसंधानकर्ता
पी.डब्ल्यू 07	बसंतलाल	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 08	कन्हैयालाल	फर्द गिरफ्तारी, फर्द जब्ती, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 09	वल्लभराम	मालखाना का साक्षी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

AUTHENTICATED DOCUMENTT

CNR Number : **RJDG020022802018**

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
01.	प्रदर्श पी – 01	परिवाद
02.	प्रदर्श पी – 02	फर्द निरीक्षण घटनास्थल
03.	प्रदर्श पी – 03	फर्द सुपुर्दगीनामा
04.	प्रदर्श पी – 04	फर्द गिरफ्तारी हुका
05.	प्रदर्श पी – 05	फर्द गिरफ्तारी नारायण
06.	प्रदर्श पी – 06	फर्द गिरफ्तारी लाला
07.	प्रदर्श पी – 07	फर्द गिरफ्तारी हुरजी
08.	प्रदर्श पी – 08	फर्द तस्दीक घटनास्थल
09.	प्रदर्श पी – 09	फर्द जब्ती पाईप अभियुक्त नारायण
10.	प्रदर्श पी – 10	फर्द जब्ती पाईप अभियुक्त हुरजी
11.	प्रदर्श पी – 11	फर्द जब्ती पाईप अभियुक्त हुका
12.	प्रदर्श पी – 12	फर्द जब्ती पाईप अभियुक्त लाला
13.	प्रदर्श पी – 13	फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका अभियुक्त हुरजी
14.	प्रदर्श पी – 14	फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका अभियुक्त नारायण
15.	प्रदर्श पी – 15	फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका अभियुक्त लाला
16.	प्रदर्श पी – 16	फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका अभियुक्त हुका
17.	प्रदर्श पी – 17	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त वेसात
18.	प्रदर्श पी – 18	फर्द सूचना धारा 27 अभियुक्त नारायण
19.	प्रदर्श पी – 19	फर्द सूचना धारा 27 अभियुक्त लाला
20.	प्रदर्श पी – 20	फर्द सूचना धारा 27 अभियुक्त हुरजी
21.	प्रदर्श पी – 21	फर्द सूचना धारा 27 अभियुक्त हुका
22.	प्रदर्श पी – 22	फर्द सूचना धारा 27 अभियुक्त वेसात
23.	प्रदर्श पी – 23	फर्द जब्ती प्लास्टिक पाईप अभियुक्त वेसात
24.	प्रदर्श पी –24	फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका अभियुक्त
25.	प्रदर्श पी – 25	जमाबंदी की नकल
26.	प्रदर्श पी – 26	जमाबंदी की नकल
27.	प्रदर्श पी– 27	रोजनामचा रपट
28.	प्रदर्श पी – 28	मालखाना रजिस्टर की प्रति
29.	प्रदर्श पी – 29	चाक एफआईआर
30.	प्रदर्श पी – 30	मालखाना रजिस्टर फोटोप्रति
31.	प्रदर्श पी– 31	फर्द शिनाख्तगी

AUTHENTICATED DOCUMENTT

CNR Number : **RJDG020022802018**

प्रतिरक्षा

क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
---------------NIL------------------		

न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
-----------NIL------------------		

:: निर्णय :: **दिनांक :–16.07.2026**

01. हस्तगत प्रकरण का उद्‌भव थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, डूंगरपुर द्वारा अभियुक्तगण नारायण, हुरजी, लाला, वेसात उर्फ वेसा व हुका के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे भा.दं.सं. से संबोधित किया जावेगा) न्यायालय हांजा के समक्ष दिनांक 08.10.2018 को पेश किये जाने से हुआ। यह प्रकरण दिनांक 31.05.2023 को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर को अंतरित कर दिया गया था, तत्पश्चात दिनांक 11. 09.2025 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 117/2025 के अनुसार पत्रावली पुनः अंतरित होकर प्राप्त होने पर प्रकरण का बाद विचारण एतद् द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी फुलशंकर पिता दीताजी, उम्र 45 वर्ष, निवासी पाल देवल पुलिस थाना सदर ने इस आशय का परिवादी पेश किया कि'' मुलजिमान दिनांक 08.05.2018 की रात्रि करीब 8.00–9.00 बजे हम सलाह होकर हाथों में लठ, पत्थर, तलवार हथियारों से लेस होकर मां–बहिन की बुरी बुरी गालिया देते हुए प्रार्थी के घर के पड़साल में प्रवेश कर कीवाड़ खुलवाना चाहा चिल्लाने की आवाज सुनकर पास पड़ौस आने से मुलजिमान धमकीया देते हुए वहां से भाग गए। मुलजिमान पूर्व में दिनांक 18.01.2018 को प्रार्थी के मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसकी पत्नी पुष्पा के साथ मारपीट कर अशलील हरकते की। मुलजिमान जाते हुए प्रार्थी के करीब 28 पाईप, वायर, दो केपीसीटर व कुंए में लगा 100 फीट वायर चुरा ले गए। प्रार्थी ने दिनांक 01.05.2018 को रिपोर्ट भी दी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुलजिमान प्रार्थी की जमीन हड़पने की नियत से प्रार्थी के साथ झगड़ा करते है।.........इत्यादि।''

03. उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 148/2018 अंतर्गत धारा 143, 447, 379 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

04. बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण नारायण, हुरजी, लाला, वेसात उर्फ वेसा व हुका के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में दिनांक 08.10.2018 को पेश किया गया तथा उक्त धाराओं में उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

05. अभियुक्तगण को उक्त धाराओं के अपराधों का आरोप दिनांक 10.12.2018 व 01.03.2019 को आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से उपर्युक्त वर्णित सारणी अनुसार साक्ष्य पेश की गयी। अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाने का कथन किया है व प्रतिरक्षा साक्षी में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

07. बहस अंतिम सुनी गयी।

8.1 दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को अभियोजित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

8.2 वहीं दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्व संदेह से परे साबित किये जाने में विफल रहा है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अन्त में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

09. न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली तथा संबंधित विधि का अवलोकन किया गया।

10. उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिंदू विचारणीय है

:—

01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.05.2018 की रात्रि 8.00—9.00 बजे मौजा पाल देवल में साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी फुलशंकर के यहां से पाईप करीब 28 नग एवं वायर, दो केपीसीटर एवं 100 फीट वायर को परिवादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से चुराकर ले गए ?

02. यदि हां, उक्त अपराध के लिये दण्ड क्या होगा ?

11. उक्त विचारणीय बिंदुओं के संबंध में अपना मामला साबित करने के लिये अभियोजन ने कुल 10 गवाहान को परिक्षीत करवाया जिनमें से परिवादी/शिकायतकर्ता **फुलशंकर पिता दीता पीडब्ल्यू 01** के रूप में परीक्षित हुआ ओर अपने **मुख्य परीक्षण में कथन** किया कि दिनांक 08.05.2018 को रात्रि करीब 8.00—9.00 बजे मुलजिमान नारायण, हुरजी, हुका, लाला, शांति, रमेश, हांजा, वेसात सभी गालिया देते हुए हो हल्ला करते हुए हाजा के घर से मेरे घर आये और गालीया दी, पडोसी के आने पर भाग गये। दिनांक 18.01.2018 को भी ये सभी एक साथ होकर रात को आये थे। मेरी पत्नी पुष्पा के साथ गाली गलोज की व अशलील हरकत की तु यहां से घर खाली करके भाग जाना नहीं तो तुझे हम रखेगें इस तरह की धमकी दी। मेरे सिचाई के लिए कुए पर रखे हुए 28 पाईप, केपीसिटर 02 तथा 100 फिट वायर चुरा कर ले गये और मुझे मार देने की धमकी दी तथा जमीन हडपने की धमकी देते है। इस्तगासा प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त मुलजिमान पाईप व केपीसीटर चुरा कर ले गये थे जो पुलिस ने उक्त मुलजिमान से बरामद किये तत्पश्चात मैने बरामद पाईप माननीय न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त किये, जिसका सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह द्वारा जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया गया कि इस्तगासा प्रदर्श पी 01 प्रथम घटना के 6 व द्वितीय घटना के 3 माह बाद पेश किया गया और यह भी कथन किया कि थाने पर घटना की पेश रिपोर्ट की प्रति पत्रावली पर नहीं है परन्तु एसपी साहब को पेश रिपोर्ट की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। गवाह

द्वारा इस सुझाव को भी स्वीकारा गया कि उसके विरूद्ध मुलजिमान द्वारा एक प्रकरण धारा 379 भा.द.सं. में किया हुआ है। गवाह द्वारा चोरी हुए पाईप के नाप पता होने से इनकार किया व कथन किया कि एक 100 फीट का बाकी 20 फीट के पाईप थे। गवाह द्वारा चोरी हुए पाईप का बिल भी न्यायालय में पेश किए जाने से इनकार किया।

उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों की जिरह में सम्पूर्ण रूप से ताईद नहीं कर पाया व रिपोर्ट में हुई देरी का कारण भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर पाया। मुख्य परीक्षण में गवाह ने 28 पाईप, केपीसीटर 2 तथा 100 फीट वायर चुराकर ले जाने का कथन किया था परन्तु जिरह में उक्त कथन की ताईद नहीं कर पाया व चोरी हुए पाईप का नाम, पता व बिल पेश करने से भी इनकार किया। गवाह द्वारा चोरी हुए पाईप के संबंध में भी अपना मालिकाना हक न्यायालय के समक्ष नहीं बता पाया।

12. गवाह **पी.डब्ल्यू 02 अविनाश** व **पी.डब्ल्यू 04 रायचन्द** जो कि पत्रावली में नक्शा मौका के गवाह है जिन्होंने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया कि पाईप चोरी हो गए थे, इसलिए पुलिस मौके पर आई थी और नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 बनाया था जिस पर क्रमशः सी से डी व ई से एफ दोनों के हस्ताक्षर है।

उक्त दोनों गवाह पत्रावली पर प्रदर्श पी 02 नक्शा मौका के गवाह है। गवाह पी.डी 02 अविनाश द्वारा जिरह में नक्शा मौके में हुई लिखापढ़ी की जानकारी नहीं होने के सुझाव को गलत बताया व कथन किया कि घटनास्थल पुलिस द्वारा मौतबीर साक्षी के सामने बनाया था जो मौके पर उपस्थित थे परन्तु कब बनाया उसका समय व दिनाक मुझे याद नहीं है। गवाह पी.डी 04 रायचन्द द्वारा प्रदर्श पी 02 नक्शा मौका में क्या लिखा है उसकी जानकारी होने से इनकार किया व कथन किया कि प्रदर्श पी 02 पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। उक्त दोनों ही गवाह द्वारा घटनास्थल के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है।

गवाह **पी.डब्ल्यू 03 रामचन्द्र** ने अपने **मुख्य परीक्षण** में कथन किया है कि दिनांक 30.07.2018 को प्रकरण संख्या 148/2018 अपराध धारा 379 भा.दं.सं. में अनुसंधान अधिकारी गिरिराजसिंह हेड कानि ने अभियुक्तगण हुका, नारायण, लाला, हुरजी को गिरफ्तार किया था जिनकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4, प्रदर्श पी 5,

प्रदर्श पी 6 व प्रदर्श पी 7 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त अभियुक्तगण ने अनुसंधान अधिकारी गिरिराजसिंह को सुचना दी और सुचना के आधार पर घटनास्थल गांव देवल की अपने निशादेही से साथ चलकर तस्दीक कराई। फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण हुका, नारायण, लाला, हुरजी द्वारा अनुसंधान अधिकारी को सूचना देकर साथ चलकर अपने अपने घर ले जाकर पाईप चोरी किये हुए बताये जिन्हे जब्त किये। फर्द जब्ती अभियुक्त नारायण से 12 पाईप प्रदर्श पी 9 है, फर्द जब्ती अभियुक्त हुरजी 6 पाईप प्रदर्श पी 10 है, फर्द जब्ती अभियुक्त हुका से 2 पाईप प्रदर्श पी11 है, फर्द जब्ती अभियुक्त लाला से 1 पाईप प्रदर्श पी 12 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण हुका, नारायण, लाला, हुरजी के कब्जे से पाईप बरामद किये जिनके बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया। फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त हुरजी प्रदर्श पी 13 है, फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त नारायण प्रदर्श पी 14 है, फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त लाला प्रदर्श पी 15 है, फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त हुका प्रदर्श पी 16 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त अभियुक्तगण ने चोरी किये हुए पाईप अनुसंधान अधिकारी को साथ चलकर बताये जो उनकी निशादेही से बरामद किये।

उक्त गवाह द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण को मेरे सामने गिरफ्तार किया था परन्तु घटना के कितने दिन बाद गिरफ्तार किया यह मैं नहीं बता सकता। गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया कि अभियुक्तगण से पाईप बरामद किए थे परन्तु उक्त पाईप कब बरामद किए अभियुक्तगण, अभियुक्तगण के खेत व मकान के स्वामित्व बाबत् सरपंच या पटवारी से कोई तस्दीक करवाई या नहीं इस संबंध में कोई जानकारी होने से इनकार किया है।

13. गवाह **पी.डब्ल्यू 5 श्रीमती पुष्पा** ने अपने **मुख्य परीक्षण** में कथन किया है कि करीब 5–6 वर्ष पहले मैं तथा मेरे पुत्र संजय व मेरी पुत्री हंसा तीनो घर पर थे। शाम को करीब 7–8 बजे हुरजी, नारायण, वेसा, हुका, लाला यह सभी गाली गलौज करते हुए हमारे घर पर आये और जान से मार देने की धमकी दी। हमारे कुंए पर रखे हुए मोटर के 29 पाईप लेकर चले गये।

उक्त गवाह द्वारा कथन किया है कि रिपोर्ट घटना के 2 दिन बाद दी थी।

उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि हमारे कुए पर रखे हुए मोटर के ''29 पाईप लेकर चले गए'' परन्तु जिरह में गवाह का चुराये हुए पाईप के संबंध में यह कथन रहा ''कहां ले गए और कितने ले गए यह मुझे नहीं पता'' एवं पाईप कितने फीट के थे यह जानकारी होने से भी इनकार किया। इसके अतिरिक्त गवाह ने कथन किया कि पुलिस बयानों में क्या लिखा है अनपढ़ होने से नहीं बता सकती। चोरी हुए पाईप के संबंध में गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन की पुष्टि जिरह में नहीं हो पाई।

गवाह **पी.डब्ल्यू 06 वरसिंह** ने अपने **मुख्य परीक्षण** में कथन किया है कि दिनांक 24.08.2018 को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के पद पर कार्यरत था उस दिन सदर थाना के प्रकरण संख्या 148/2018 में जब्तशुदा पांच बंडल फ्लेग ए बें बांधे हुए 12 पाईप, फ्लेग बी में 07 पाईप, फ्लेग सी में 02 पाईप, फ्लेग डी में 01 पाईप 53 फीट लम्बा व फ्लेग ई में 07 पाईप जिसमें 02 टुकड़े 10.10 व 8.10 फिट जिस पर मार्क ई अंकित था जो कुल 28 पाईप थे। कानि. गिरीरामसिंह अपने साथ अन्य पाईप लाकर पेश किए जिनको शिनाख्तगी के पाईपों के साथ ही रखा था। जब्तशुदा पाईप को गवाह फुलशंकर ने देखकर अपना होने की पहचान की थी। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी 31 है, जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी गिरीराज हेड कानि. के व ई से एफ गवाह फुलशंकर के हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह जिसके द्वारा बरामदशुदा पाईप की शिनाख्तगी की कार्यवाही करवाई गई थी ने जिरह में कथन किया कि उक्त पाईप पुलिस ने कहा व किससे जब्त किए मुझे नहीं पता एवं शिनाख्तगी के समय फरियादी के द्वारा पहचान बाबत् कोई बिल वगैरा पेश नहीं किया गया था। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकारा कि पाईप फरियादी के ही हो ऐसा पाईप पर कोई विशेष मार्क अंकित नहीं था एवं शिनाख्त किए गए पाईप सामान्यतः बाजार में मिल जाते है।

गवाह **पी.डब्ल्यू 07 बसंतलाल** ने अपने **मुख्य परीक्षण** में कथन किया है कि दिनांक 30.07.2018 को प्रकरण संख्या 148/2018 अपराध धारा 379 भादंसं में अनुसंधान अधिकारी गिरिराजसिंह हेड कानि ने अभियुक्त वेसात उर्फ वेसा को गिरफ्तार किया जिनकी फर्द प्रदर्श पी 17 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त वेसात ने अनुसंधान अधिकारी को सूचना दी कि उसने साथियों के साथ मिलकर फुलशंकर के खेत से पानी के पीवीसी पाईप 6 नग चोरी किये थे जो उसके घर पड़े थे बरामद कराना चाहता है।

आईओ गिरीराज सिंह के साथ मैं व कानि. कन्हैयालाल अभियुक्त वेसात को लेकर मौजा पाल देवल में वली फला में वेसात उर्फ वैसा के मकान पर पहुंचे जहां अभियुक्त ने 7 नग पाईप बरामद करवाये। फर्द बरामदगी प्लास्टिक के पाईप बरंग काले कुल 07 अभियुक्त वेसात से बरामद किये गये फर्द जब्ती पाईप प्रदर्श पी 23 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी स्थल अभियुक्त वेसात प्रदर्श पी 24 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह का भी जिरह में यही कथन रहा कि पाईप जो बरामद किए उस पर कोई विशेष मार्का नहीं था और फुलशंकर का पाईप पर नाम पता नहीं था। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि बरामदगी के समय फरियादी साथ में आया हो एवं कथन किया कि बरामदगी के वक्त स्वतंत्र मौतबीर को नहीं बुलाया। गवाह द्वारा यह सुझाव भी स्वीकारा गया कि जो पाईप मिले वह हर खेती बाड़ी करने वाले परिवार के पास मिल जाते है।

गवाह **पी.डब्ल्यू 08 कन्हैयालाल** ने अपने **मुख्य परीक्षण** में कथन किया है कि दिनांक 30.07.2018 को प्रकरण संख्या 148/2018 अपराध धारा 379 भा.दं.सं. में अनुसंधान अधिकारी गिरिराजसिंह हेड कानि ने अभियुक्तगण हुका, नारायण, लाला, हुरजी को गिरफ्तार किया जिनकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4, प्रदर्श पी 5, प्रदर्श पी 6 व प्रदर्श पी 7 है एवं फर्द गिरफ्तारी वेसात प्रदर्श पी 17 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त पांचों अभियुक्तगण ने अनुसंधान अधिकारी गिरिराज सिंह को सूचना दी और घ टनास्थल गांव देवल की उक्त अभियुक्तगण ने अपने निशादेही से साथ चलकर तस्दीक कराई जिसका अनुसंधान अधिकारी ने नक्शा मौका बनाया। फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 8 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण हुका, नारायण, लाला, हुरजी द्वारा अनुसंधान अधिकारी को सूचना देकर साथ चलकर अपने अपने घर ले जाकर पाइप चोरी किये हुए बताये जिन्हें जब्त किये। फर्द जब्ती अभियुक्त नारायण से 12 पाइप प्रदर्श पी 9 है, फर्द जब्ती अभियुक्त हुरजी 6 पाइप प्रदर्श पी 10 है, फर्द जब्ती अभियुक्त हुका से 2 पाइप प्रदर्श पी 11 है, फर्द जब्ती अभियुक्त लाला से 1 पाइप प्रदर्श पी 12 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण हुका, नारायण, लाला, हुरजी के कब्जे से पाईप बरामद किये जिनके बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया। फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त हुरजी प्रदर्श पी 13 है, फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त नारायण प्रदर्श पी 14 है, फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त लाला प्रदर्श पी 15 है, फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त हुका प्रदर्श पी 16 है जिन पर मेरे हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी प्लास्टिक के पाईप बरंग काले कुल 07 अभियुक्त वेसात से बरामद किये

गये जो फर्द प्रदर्श पी 23 है, जिस पर सी से डी पर मेरे हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी गिरीराजसिंह ने मेरे व कानि बसंतलाल के समक्ष जप्त किये थे। फर्द बरामदगी स्थल अभियुक्त वेसात प्रदर्श पी 24 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त अभियुक्तगण ने चोरी किये हुए पाइप अनुसंधान अधिकारी को साथ चलकर बताये जो उनकी निशादेही से बरामद किये।

उक्त गवाह द्वारा जिरह में पाईप पर कोई विशेष मार्का हो और मुलजिमान और फरियादी के संबंध बिगड़े हुए हो इसकी जानकारी होने से इनकार किया। अपने समक्ष कोई बरामदगी होने से भी इनकार किया। बरामदगी स्थल के बारे में अनुसंधान अधिकारी ने कोई दस्तावेज लिया या नही इसकी जानकारी से भी इनकार किया व कथन किया कि चार अभियुक्तगण से बरामदगी एक ही दिन हुई थी एक अभियुक्त को छोड़कर। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि सभी आर्टिकल थाने में हमने पहले से लाकर रख रखे हो और जब अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी होने पर बरामदगी बना दी हो।

14. गवाह **पी.डब्ल्यू 09 वल्लभराम** ने अपने **मुख्य परीक्षण** में कथन किया है कि दिनांक 30.07.2018 को मैं मालखाना इंचार्ज था, उस दिन प्रकरण संख्या 148/18 धारा 379 भादसं में आईओ गिरीराज सिंह ने जब्तशुदा प्लास्टिक का पाईप, पीवीसी सिंचाई में उपयोग लिए जाने वाले 12 नंग चिटचस्पा शुदा मार्क ए, प्लास्टिक का पाईप, पीवीसी सिंचाई में उपयोग लिए जाने वाले 06 नंग चिटचस्पा शुदा मार्क बी, प्लास्टिक का पाईप, पीवीसी सिंचाई में उपयोग लिए जाने वाले 02 नंग चिटचस्पा शुदा मार्क सी, प्लास्टिक का पाईप, पीवीसी सिंचाई में उपयोग लिए जाने वाले 01 नंग चिटचश्पा शुदा मार्क डी, प्लास्टिक का पाईप, पीवीसी सिंचाई में उपयोग लिए जाने वाले 07 नंग चिटचश्पा शुदा मार्क ई जो कुल 28 पाईप नग मुझे मालखाना में सुरक्षित रखने के लिए दिये थे, जिनको मैने मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर मालखाना में सुरक्षित रखे। दिनांक 29.08.2018 को माननीय जेएम कोर्ट डूंगरपुर के आदेश से उक्त सभी पाईप फुलशंकर पिता दीता घोघर निवासी पालदेवल को सुपूर्द किये। मालखाना रजि. का असल इंद्राज प्रदर्श पी 30 है, जिसमें ए से बी भाग में जमा किये गये माल का विवरण है, सी से डी भाग में माल फुलशंकर को सुपूर्द करने का विवरण अंकित है, ई से एफ मेरे व जी से एच फुलशंकर के हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में बरामदशुदा पाईप के संबंध में कोई ठोस कथन नहीं किया गया बस यह कथन किया गया कि जब्ती अधिकारी ने मालखाना जमा करवाते समय फर्द जब्ती की कॉपी नहीं दी गई थी।

20. गवाह **पी.डब्ल्यू. 07 गिरीराज सिंह** प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी है, जिन्होने गवाहान के पुलिस बयान तथा दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्तगण नारायण पिता रामजी, हुरजी पिता रामजी, लाला पिता हुका, वेसात उर्फ वेसा, हुका पिता सवजी के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.सं. का अपराध बखूबी प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली चार्जशीट पेश की गई।

जिरह में अनुसंधान अधिकरी पी.डी 07 द्वारा यह स्वीकारा गया कि उक्त प्रकरण घ्ज्ञटना के आठ माह बाद दर्ज हुआ परन्तु उक्त देरी का कोई कारण नहीं बताया गया। गवाह द्वारा यह कथन किया गया कि प्रकरण दर्ज होने के बाद दूसरे दिन घटनास्थल पर गया था और बरामदगी घटनास्थल पर नक्शा मौका बनाने के दूसरे दिन बाद की गई। अभियुक्त नारायण से 12 पाईप और हुरजी 06 पाईप, हुका से 02 पाईप, लाला से 01 पाईप व वेसात से 07 पाईप बरामद हुये थे। उक्त गवाह का यह कथन रहा है कि बरामदशुदा पाईप मकान के पास खुले खेत में पड़े हुये थे और जब्तशुदा पाईप पर किसी प्रकार का मार्का अंकित नही था। अभियुक्तगण से पाईप के अलावा कोई सामान जप्त नहीं हुआ न ही जप्तशुदा पाईप के संबंध में किसी प्रकार के बिल वगैरा पेश हुए। उक्त प्रकरण में कोई स्वतंत्र मोतबिरान नही थे। इसके अतिरिक्त गवाह ने यह भी कथन किया कि वह अभियुक्तगण को पूर्व से पहचानता था और इस प्रकारण के प्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रकरण श्रीमान् न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट में विचाराणीय है।

21. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह आता है कि परिवादी द्वारा स्वयं कथन किया गया कि प्रदर्श पी 01 इस्तगासा प्रथम घटना के 6 माह व द्वितीय घटना के 3 माह बाद का है। परिवादी द्वारा पाईप के मालिकाना हक के संबंध में कोई बिल पेश नहीं किया गया न ही पाईप पर कोई विशेष मार्का होने का कथन किया गया। परिवादी स्वयं को चोरी हुए पाईप का नाप नहीं पता था, एक पाईप 100 फीट व बाकी सभी पाईप 20 फीट होने का कथन किया। इसके संबंध में यदि बरामदशुदा पाईप की जब्ती प्रदर्श पी 09 लगायत प्रदर्श पी 12 व प्रदर्श पी 23 को देखा जाये तो किसी पर भी पाईप के नाप के

संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है न ही उक्त फर्दों पर पाईप की पहचान हेतु कोई कथन है। चुराये हुए पाईप के संबधं में यदि गवाह पी.डब्ल्यू 06 जो कि शिनाख्तगी का गवाह है उसका भी यही कथन रहा कि उक्त पाईप फरियादी का हो ऐसा **कोई पाईप पर विशेष मार्का अंकित नहीं था** न ही शिनाख्तगी के समय पहचान बाबत् **पाईप का कोई बिल वगैरा पेश किया था।** गवाह का यह भी कथन रहा था कि **इस तरह के पाईप सामान्यतः बाजार में मिल जाते है।** पी.डब्ल्यू 07 जो कि फर्द जब्ती पाईप का गवाह था उसके द्वारा भी यही कथन किया गया कि **इस तरह के पाईप हर खेतीबाड़ी करने वाले परिवार के पास मिलते है** एवं पाईप पर फुलशंकर का नाम पता नहीं था। पाईप की पहचान के संबंध में यदि अनुसंधान अधिकारी की जिरह पर गौर किया जाये तो स्वयं अनुसंधान अधिकारी का कथन रहा कि **बरामदशुदा पाईप मकान के पास खुले खेत में पड़े हुए थे** और जब्तशुदा पाईपों के संबधं में किसी प्रकार के बिल वगैरा पेश नहीं किए गए थे न ही उक्त पाईप पर कोई मार्का अंकित था। न्यायालय के समक्ष कोई भी गवाह यह बिना **संदेह के नहीं ला पाया कि परिवादी के चोरी हुए पाईप ही अभियुक्तगण से बरामद पाईप है।**

हस्तगत मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रकरण घटना के साढे आठ महीने बाद दर्ज हुआ था एवं नक्शा मौका प्रकरण दर्ज होने के दूसरे दिन बनाया गया था परन्तु नक्शा मौका बनाने के दूसरे दिन ही आठ माह बाद दर्ज हुए प्रकरण में बरामदगी होना, अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध भी धारा 379 भा.दं.सं. का एक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होना, अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को पहले से जानने का कथन और प्रकरण में कोई स्वतंत्र मौतबीर नहीं बनाना न्यायालय के समक्ष एक संदेहास्प्रद स्थिति उत्पन्न करता है।

फौजदारी प्रकरणों में अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करे क्योंकि हस्तगत प्रकरण चोरी से संबंधित है व बरामदगी के तथ्यों पर आधारित है तो अभियोजन पक्ष को इस प्रकार के आरोप को बरामदगी के आधार पर ही साबित और प्रमाणित करना होता है। साथ ही न्यायालय को यह भी देखना होता है कि प्रकरण में बरामदशुदा माल मुलजिमानों के अनन्य व संज्ञान कब्जे से व निशादेही से बरामद

हुआ है अथवा नहीं। स्वयं अनुसंधान अधिकारी का यह कथन रहा कि बरामदशुदा पाईप मकान के पास खुले खेत में पड़े हुए थे एवं अन्य गवाहों का यह कथन रहा कि इस तरह के पाईप सामान्यतः बाजार में अथवा खेती बाड़ी करने वाले परिवार में मिल जाते है। हालांकि पत्रावली पर अभियुक्तगण द्वारा दी गई धारा 27 की सूचना प्रदर्श पी 18 लगायत प्रदर्श पी 22 उपलब्ध है और बरामदगीस्थल संबंधी जमाबंदी प्रदर्श पी 25 व प्रदर्श पी 26 भी संलग्न है परन्तु उक्त दस्तावेजों से भी न्यायालय के समक्ष बरामदशुदा पाईप के मालिकाना हक संबंधित कोई तथ्य नहीं आता है न ही अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य में पाईप की पहचान बाबत् कोई बिल, कम्पनी का नाम, कलर, पहचान चिन्ह, मार्क या निशानी अंकित होने के कथन किये गये है, **जिससे यह तथ्य साबित हो पाये कि जब्तशुदा पाईप और चोरी हुए पाईप एक ही है। बिना पाईप की पहचान व बिल के गवाहों द्वारा जब्तशुदा माल के संबंध में किए गए कथन भी संदेहास्प्रद हो जाते है। इसके अतिरिक्त घटना के लगभग साढे आठ महीने बाद चोरी किए हुए पाईप का किसी के खेत में खुले पड़े होना एवं वहीं से ही जब्त हो जाना भी संदेहास्प्रद है।**

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार सम्पूर्ण अभियोजन कहानी घोर संदेह के घेरे में होने से उक्त विचारणीय बिन्दु संख्या 01 अभियोजन के विरूद्ध व अभियुक्तगण के पक्ष में तय किए जाते है।

24. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि अभियुक्तगण ने दिनांक 08.05.2018 की रात्रि 8.00—9.00 बजे मौजा पाल देवल में साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी फुलशंकर के यहां से पाईप करीब 28 नग एवं वायर, दो केपीसीटर एवं 100 फीट वायर को परिवादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से चुराकर ले गए। ऐसे में अभियुक्तगण को धारा 379 भा.द.स. के अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

25. अतः अभियुक्तगण **1. नारायण पिता रामजी, उम्र 52 वर्ष, 2. हुरजी पिता रामजी, उम्र 58 वर्ष, 3. लाला पिता हुका, उम्र 42 वर्ष, 4. वेसात उर्फ वेसा पिता रामजी, उम्र 38 वर्ष, 5. हुका पिता सवजी, उम्र 62 वर्ष, निवासीयान पाल देवल**

CNR Number : **RJDG020022802018**

पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। प्रकरण के विचारण हेतु अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रत्येक अभियुक्त धारा 437—ए सीआरपीसी (481 बीएनएसएस) के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु छः माह की अवधि तक 10,000/—की जमानत व इसी कदर राशि का बन्धपत्र पेश कर तस्दीक करावे। निर्णय की एक प्रति ई—कोर्ट की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(पूजा सूर्या आरजेएस)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर

26. निर्णय आज दिनांक 16.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

KANHAIYA LAL PATIDAR
shehrestadar Grade III
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by KANHAIYA LAL PATIDAR
Location: JM COURT
Date: 2026.07.18 10:40:43 +0530

(पूजा सूर्या, आरजेएस)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर